UPKU100014502010

<u>न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशीनगर, स्थान-पड़रौना।</u>

परिवाद संख्या-2635/2010

सफी अहमद -बनाम- मुस्ताक व अन्य

<u>05.09.2019</u>

पत्रावली पेश हुयी। आज पत्रावली आवेदक/परिवादी **सफी अहमद** द्वारा द्वारा इस आशय का सशपथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, कि पत्रावली में मध्यस्थता सफल हो गयी है। तथा पति-पत्नी एक साथ रह रहे हैं मुकदमा उपरोक्त के चलने का अब कोई औचित्य नही है।आवेदक/परिवादी अपने परिवाद को चलाना नही चाहता है व मुल्जिमान से कोई प्रतिवाद नही चाहता है। प्रार्थी का उपरोक्त परिवाद वापस किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी का मुकदमा वापस लेने का आदेश दिये जाने की याचना की गयी।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है, कि आवेदक/परिवादी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा-498A,323,504,506 भा०दं०सं० का आरोप लगाते हुये परिवाद दाखिल किया गया। जिसमें पत्रावली अभियुक्तगण के साक्ष्य हेतु नियत है। इस स्तर पर परिवादी द्वारा स्वयं न्यायालय उपस्थित आकर उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। धारा-257 दं०प्र०सं० को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, कि **''यदि परिवादी किसी मामले में इस अध्याय के अधीन अन्तिम आदेश पारित किये जाने के पूर्व किसी समय मजिस्ट्रेट का समाधान कर देता है, कि अभियुक्त के विरूद्ध या जहाँ एक से अधिक अभियुक्त हैं, वहाँ उन सब या उनमें से किसी के विरूद्ध उसका परिवाद वापस लेने की उसे अनुज्ञा देने के लिये पर्याप्त आधार है, तो मजिस्ट्रेट उसे परिवाद वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगा, और तब उस अभियुक्त् को, जिसके विरूद्ध परिवाद इस प्रकार वापस लिया जाता है, दोषमुक्त कर देगा।''**

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-257 के परिभाषा को ध्यात्वय रखते हुये जबकि परिवादी स्वयं द्वारा समक्ष न्यायालय उपस्थित

आकर इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, कि वह मुकदमा उपरोक्त को नहीं लड़ना चाहता है। मुकदमा निरस्त करने का आदेश दिये जाने की याचना की है। परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा-257 दं०प्र०सं० के अधीन निरस्त करते हुये अभियुक्तगण को आरोप अन्तर्गत धारा-498A,323,504,506 भा०दं०सं० से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/परिवादी **सफी अहमद** का प्रार्थना पत्र दिनांकित 05.09.2019 स्वीकार किया जाता है। परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा-257 दं०प्र०सं० के तहत वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है, तथा अभियुक्तगण **मुस्ताक, महमूद, जैनब, मकसूद, मैयमुलनिशा** को आरोप अन्तर्गत धारा- 498A,323,504,506 भा०दं०सं० से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके निजी बन्ध पत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते है और प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अतः पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

जे०एम०,
कसया, कुशीनगर।